मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 08.08.2025

थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा जिला बदर हिस्ट्रीशीटर ₹20000 का पुरस्कार घोषित अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल पैर में लगी गोली। कब्जे से 06 मोबाइल फोन, 5500/- रूपया, एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा व खोखा कारतूश बरामद—

थाना अहरौरा पुलिस टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर हिस्ट्रीशीटर ₹20000 का पुरस्कार घोषित अपराधी थाना अहरौरा क्षेत्रांतर्गत वनस्थली विद्यालय के पास स्थित जंगल में छिपा है। थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा जिला बदर हिस्ट्रीशीटर ₹20000 का पुरस्कार घोषित अपराधी के गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया गया। अपराधी द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए जंगल की तरफ भागा गया। पुलिस टीमों द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी, जिसमें जिला बदर हिस्ट्रीशीटर अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी जावेद पुत्र इस्लाम निवासी दुर्गा जी पहाड़ी नई बस्ती थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर उम्र करीब 22 वर्ष को इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। जहां उसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 06 अदद मोबाइल फोन, चोरी के 5500 रूपया, एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 3 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त जावेद द्वारा टोल टैक्स तथा ढाबो के आसपास रात में खड़ी ट्रक के शीशे में लगी रबर को ब्लेड से काट कर शीशा को निकालकर ट्रक के केबिन में प्रवेश कर सो रहे ड्राइवर की जेब अथवा केबिन में रखे हुए मोबाइल, रुपए को चुरा लेता है। इसके गैंग में इसके अतिरिक्त पांच अन्य सदस्य हैं जिसमें से चार सदस्य की गिरफ्तारी दिनांक 07.08.2025 को हुई है उनके कब्जे से भी मोबाइल फोन व रुपए बरामद हुए है। अभियुक्त द्वारा दो दर्जन से अधिक घटना करना बताया है। अभियुक्त जावेद पूर्व में लूट तथा चोरी में भी जेल जा चुका है। थाना अहरौरा पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0सं0-18/25, धारा-305(बी), 117(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौरा अरोप पत्र संख्या A-41 दिनांक-13.03.2025

2. मु0अ0सं0-102/23 धारा 392, 411 भादवि थाना अहरौरा मीरजापुर आरोप पत्र संख्या A-129 दिनांक 20.08.2023

3.मु0अ0सं0-111/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौरा मीरजापुर आरोप पत्र संख्या A-138 दिनांक 05.09.2023

4. क्रमांक 03/25 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम

5. क्रमांक 38/25 धारा 129 बीएनएस (110 जी)
6. एचएस नं0-49A
7. मु0अ0सं0 178/2025 धारा 305 (B), 324(4) BNS (वाछिंत)/पुरस्कार घोषित (20000/- हजार)
8. जिलाबदर दिनांक: 08.06.25 से

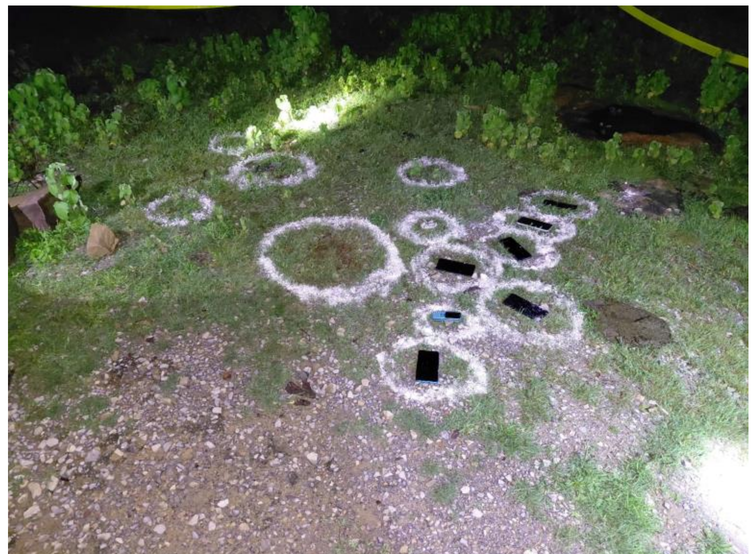

****